Peer Reviewed/ Refereed Journal

ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
CHETANA
Impact Factor SJIF=4.157

Received on 13th Oct. 2019, Revised on 17th Oct. 2019; Accepted 19th Oct. 2019

आलेख

व्यवस्था का बोझ बच्चों के सिर

* Dr.Ashwini Kumar 'Sukrat'
Assistant Professor, Delhi University
A-401, Soniya Vihar, Delhi - 110090
Email- janchetna.janmukti@gmail.com, Mob. - 9210473599

मुख्य शब्द - *गोरे अंग्रेज, अंग्रेजियत, सहभागीसहयोगी अंग्रेजीदां वर्ग-, सहभागी दलाल वर्ग आदि।*

भगत सिंह ने कहा था, **"मुझे विश्वास है कि आने वाले 15-सालों में ये गोरे मेरे देश को छोड़कर 20 चले जाएंगे। पर मुझे डर है कि आज जिन पदों पर ये 'गोरे अंग्रेज' विराजमान हैं, उस पर यदि 'काले अंग्रेज' विराजमान हो जाएंगे तो हमारी लड़ाई और भी कठिन हो जाएगी।"** भगत सिंह की इस घोषणा के लगभग साल बाद 17"गोरे अंग्रेज" तो चले गये। पर जाते-जाते वे सत्ता 'मैकाले के मानसपुत्रों' अर्थात् "काले अंग्रेजों" को सौंप गये। फिर क्या था, सरकार बदली, झंडा बदला, रंगाई-व्यवस्था को भी नया रंग-पुताई के साथ राज-रूप भी मिला, पर राजसत्ता का ढाँचा वही का वही रहा। वही अंग्रेजी कानून, वही अंग्रेजी व्यवस्था। जी हाँराजसत्ता का स्वरूप न !हीं बदला। एक तरीका जिसके माध्यम से तीन लाख अंग्रेज तीसचालीस करोड़ अविभाजित हिन्दुस्तानियों को - नियंत्रित करते थे। यह तंत्र ही विरासत के रूप में"काले अंग्रेजों" को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के समय से ही भारतीय समाज में अंग्रेजियत का वर्चस्व अंग्रेजों द्वारा राजसत्ता में सहयोग के लिए पैदा किये गये 'सहभागी दलाल वर्ग' का सांस्कृतिक वर्चस्व रहा है। साल के अंग्रेजी राज में 200, अंग्रेजों का 'सहभागीसहयोगी अंग्रेजीदां वर्ग-' ही भारतीय समाज में उच्च एलिट वर्ग के रूप में स्थापित हुआ। यह वर्ग ही शिक्षा, नौकरशाही, कांग्रेस, अंग्रेजों के सहयोगी बड़े जमींदारोंसाह-ूकारों के रूप में सत्ता के हर शीर्ष पर काब्रिज भी हुआ और -में हुए सत्ता 1947हस्तांतरण के बाद भी शीर्षत् पदों पर बना रहा है। स्पष्ट है, झंडा बदला पर डंडा वही का वही रहा। भारतीय समाज में अंग्रेजी 'मैकाले के मानसपुत्रों' की ही सुविधा की भाषा है। 'अंग्रेजियत' अंग्रेजी राज के संक्रमंण के दौरान पैदा हुए उनके सहयोगीसहभागी वर्ग का ही राजन-ीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व भी है।

26 जनवरी, 1950 में लागू हुए संविधान के माध्यम से एक तरफ तो *'हम भारत के लोग'* के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। नागरिक अधिकार और नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के मा ध्यम से नए भारत के उदय की उम्मीद जगायी गयी है। वहीं संविधान के अनुच्छेद - 147, 343(1) व (2),351 तथा 348 के आड़ में "फुट डालों और राज करों" के पुराने अल्पतंत्र को कायम रखा गया है। जी हाँ! हिन्दी को राजभाषा बनाने वाली संविधान की अनुच्छेद 343(1) भी एक तरफ तो हिन्दी-बेल्ट माने जाने वाले क्षेत्र के लोगों में तत्सम प्रधान तथाकथित हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने का भ्रम पैदा

भारत में अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं व्यवस्था (इंग्लिश मीडियम सिस्टम) है। भारत के संविधान की धारा 348, 343(2), 120, 210, 147 ने अंग्रेजी को व्यवस्था बना दिया है। अभी तक लोगों का हिन्दी/भारतीय भाषा/ अंग्रेजी के प्रति विचार भावनाओं और सरकारी-मीडिया प्रोपोगंडा से प्रभावित है, हमें लोगों को उससे बाहर निकाल कर भारतीय भाषा आन्दोलन को वैज्ञानिक धरातल पर खड़ा करना है।

अश्विनी 9210473599, 9990210469

करती है और दूसरी तरफ गैर-हिन्दीभाषी माने जाने वाले क्षेत्रों में हिन्दीभाषी लोगों के वर्चस्व का भय जगाती है। फलस्वरूप 'तथाकथित हिन्दीभाषी' और 'तथाकथित गैर-हिन्दीभाषी' क्षेत्र के लोग एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। अतः जहाँ तक भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिकल्पित "बंधुता" का सवाल है - उसे हिन्दी और गैरहिन्दी क्षेत्र में भारत को बाँटकर खत्म करने का महान काम अनुच्छेद 343 -(1) कर रहा है। 343(1) की आड़ में ही अनुच्छेद- 343(2), 348, और 147 ही नहीं 343 से लेकर 351 के सभी अनुच्छेद अंततः इंग्लिश के वर्चस्व को ही कायम रखते हैं। सिद्धान्तः हम भारत के लोगों के सामने अनुच्छेद 350, 350A और 350B के माध्यम से वंचित वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भारतीय जनभाषाओं के संरक्षण की वकालत तो करता है। पर व्यवहारतः भारतीय संविधान की उद्देशिका में कल्पित "समता" की परिकल्पना का नाश कर 1-2% से भी कम के सत्ताधारी वर्ग द्वारा बोले जाने वाली इंग्लिश का ही संरक्षण संविधान का अनुच्छेद - 348 करता है। अनुच्छेद 351 -हिन्दुस्तानी(हिन्दी) के प्रसार का भ्रम मात्र पैदा करता है। व्यवहारतः यह राज भाषा हिन्दी ने जनभाषा हिन्दुस्तानी का ही दमन कर लोगों की अपनी भाषा के प्रति ही विरक्त करके रख दिया है। लोगों को बैंकोंअदालतों एवं सरकारी दफ्तरों में प्रयोग होने वाली राजभाषा हिन्दी से आसान अंग्रेजी , लगने लगती है। राजभाषा हिन्दी के माध्यम से हिन्दुस्तानी की ही इतिश्री हर साल हिन्दी पखवाड़े के साथ देखने को मिलती है। हकीकत में, मूलतः अंग्रेजी में रचित यह संविधांन अंग्रेजी के वर्चस्व को ही बनाये रखता है। अंग्रेजी का वर्चस्व विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर, अवसर को अंग्रेजीभाषी तबके तक समेटे रखता है, भारत के जनसाधारण वर्ग को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से वंचित रखता है। ऐसे में संविधान की उद्देशिका के माध्यम से व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कपोल कल्पना भर ही लगती है।

भाषाई विसंगतियों की वजह से जुलाई)में सिविल सेवा चयन हेतु ली जाने वाली सीसैट 2014CSAT) की परीक्षा पर परीक्षा के अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा था। तमाम दूसरी परीक्षाओं एवं दस्तावेजों की भाँति सिवल सेवा परीक्षा की सीसैट प्रणाली में भी मूल प्रश्नपत्र अंग्रेजी में ही बनता है। - हिन्दी में महज़ अव्यवहारिक एवं कृत्रिम अनुवाद भर ही होता है। इस अनुवाद की प्रक्रिया में प्रचलन से बाहर के शब्दों का प्रयोग किया गया, जो पढ़ने में तो 'संस्कृतनिष्ठतत्सम शब्द-' प्रतीत होते हैं। पर हकीकत में उनका प्रचलन में कहीं कोई प्रयोग नहीं होता है। इन अप्रचलित शब्दों ने ही अभ्यर्थियों को गुमराह किया। पर यह समस्या सिर्फ सीसैट परीक्षा भर की नहीं है। आप किसी भी सरकारी दस्तावेज को उठा ले (डॉक्यूमेंट)ः और चौराहे पर ले जाकर पढ़ भर दें, फिर खुद पता लगाएँ कि कितने लोग संविधान के अनुच्छेद343 - (1) के तहत गढ़ी गयी एवं ,के तहत प्रसारित 351 इस 'सरकारी अनुवाद की हिन्दी' को समझ भी पाते हैं। सच्चाई तो यह है कि जिस हिन्दी का विरोध हमारे तमिलतेल-ुगूभाषी भाई करते है, वह 'सरकारीएसी-कृत्रिम-' कमरों में बैठकर गढ़ी गयी हिन्दी तथाकथित हिन्दीभाषी क्षेत्र के लोगों की समझ से बाहर की है। यूरोप के छोटे से छोटे देश की राजव्यवस्था जनसामान्य द्वारा समझे जाने वाली जनभाषा में ही कामकाज करती है। इन देशों में केजी से पीजी तक की शिक्षा अनिवार्यतः परिवेश की सांस्कृतिक भाषा में ही होती है। सम्पूर्ण विश्व में अंग्रेजी वर्चस्व के प्रतीक अमेरिकाकी अधिकारीक राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। (यूएसए) परिणःाम, यूरोप और अमेरिका की सरकारों के सरकारी दस्तावेज मामूली से मामूली पढ़ा-लिखा व्यक्ति तक समझ सकता है। पर भारत में स्थिति कुछ भिन्न है। अंग्रेजी तो है ही परदेशी पर, उस अंग्रेजी के अनुवाद के अनुरूप गढ़ी गयी हिन्दी और भी अधिक अव्यवहारिक है। हकीकत में जुलाई में उभरा सीसैट 2014आन्दोलन भी इस प्रचलन से बाहर की 'कृत्रिम-एसीरूम-सरकारी-हिन्दी' में हुए अनुवाद का ही विरोध प्रकट किया गया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में यह घपला नहीं होता है। घपला तो उसी दिन से चालू है जिस दिन से 'राजभाषा हिन्दी' की परिकल्पना गढ़ी गयी है। ये तो सीसैट परीक्षा का 'कॉम्प्रिहेंशन' है, जिसने समस्या को उजागर कर दिया। जी हाँ ! यूपीएससी)UPSC) ने 2011 से सीसैट की नयी प्रणाली लागू कर प्रारंभिक परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया है। कॉम्प्रिहेंशन (बोधगम्यता) अपने आप में मूल्यांकन की एक बेहतर, विस्तृत एवं बहुआयामी पद्धति है। पर सीसैट परीक्षा में संविधान के अनुच्छेद के तहत मूलरूप से अंग्रेजी भाषा में कॉम्प्रिहेंशन 348 351 तैयार करने एवं संविधान के अनुच्छेद के तहत गढ़ी गयी राजभाषा हिन्दी अर्थात् 'कृत्रिम-सरकारी-एसीरूम-हिन्दी' में किए गए मैकेनिकल अनुवाद की वजह से ही सारी समस्या पैदा हुई है। अभ्यर्थी न तो 'कॉम्प्रिहेंशन' के खिलाफ थे न ही 'रिजनिंग' के। अभ्यर्थियों की मुख्य माँग तो मूल प्रश्नों को भारतीय भाषाओं में बनाए जाने की थी। समस्या के समाधान के लिए भी होना यह चाहिए था कि सभी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मूल रूप से भारतीय भाषाओं में ही बनाए जायें और जहाँ कहीं भी अनुवाद की आवश्यकता हो ,तो वह 'कृत्रिमरूम.सी.ए-सरकारी--हिन्दी' अर्थात् इस तथाकथित

राजभाषा हिन्दी में न होकर व्यावहारिक एवं प्रचलन के बोलचाल की जनभाषा में ही हो। पर सरकार ने न केवल इस माँग की अवहेलना की बल्कि आन्दोलन को गुमराह करने के लिए समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ "अनिवार्य अंग्रेजी के प्रश्नों में" छूट देकर समस्या की इतिश्री कर दी। अब तो यूपीएससी ने भी अपनी वेबसाइट पर राजभाषा विभाग का लिंक साँझा किया है। भारतीय भाषा माध्यम के अभ्यर्थियों से उम्मीद की जाती है कि वे उस लिंक पर दिए गए कृत्रिम शब्दों को परीक्षा में जाने से पूर्व रटेंगे।-सरकारी-एसीरूम-

इस प्रकार यूपीएससी की इस परीक्षा ने यह भी सिद्ध किया कि अच्छे सिद्धान्त को किस तरह बुरे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी के द्वारा 2011 से पहले ली जाने वाली परीक्षा भेद भाव से मुक्त थी। यदि हम-2011 से पूर्व के ग्राफ को भी देखें तो पाते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में बेशक हिन्दी समेत अन्य भारतीयभाषा माध्यमों- से औसतन 45% अभ्यर्थी पास होते थे, पर साक्षात्कार के बाद का आँकड़ा औसतन 10-12% या उससे भी कम रह जाता था। अतः इस परीक्षा के पुराने पैटर्न में भी अंग्रेजीदां वर्ग का ही दबदबा था। क्यों? 1979 से पूर्व तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पूर्णतः अंग्रेजी में ही ली जाती थी और आज भी यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली अधिकतर परीक्षाएँ अंग्रेजी में ही संपन्न होती हैं। चाहे वह भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा हो या भारतीय वन सेवा परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च ओहदों को अंग्रेजीदां वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। वही हाल राज्य पीसीएस, एसएससी, डीएसएसएसबी, बैंकिंग और तमाम दूसरी नौकरियों का चयन करने वाली संस्थाओं का भी है। इन सभी संस्थाओं की चयन परीक्षा में अंग्रेजी प्रश्नपत्र के अनिवार्य हिस्से के रूप में होता ही है। डीएसएसएसबी ने तो अभी हाल ही में चयन परीक्षाओं में पहले से चले आ रहे अंग्रेजी के वस्तुनिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त अंग्रेजी की वर्णात्मक परीक्षा को भी अनिवार्यता बनाया है।)जानकारी के स्रोत्र यूपीएससी - रिपोर्ट, पीसीएस, डीएसएसएसबी वेबसाइट आदिसच्चाई यह है कि जिस भी परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता है (, वह 3% के अंग्रेजीदां वर्ग को 50-100% तक आगे बढ़ाती है अर्थात् 'जैक' लगाती और 95% के गैरअंग्रेजीदा-ं ग्रामीण, कस्बाई, निम्न एवं निम्न मध्यमवर्गीय आबादी को 30-100 प्रतिशत तक पीछे धकेलती है। विश्लेषण) इस पुस्तक के शोध पर आधारित है।(इन सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता इसलिए रखी जाती है कि अंग्रेजी के सहारे इस देश की ग्रामीण,कस्बाई गैरअंग्रेजीदा-ं वर्ग को सत्ता के गलियारे से दूर रखा जा सके। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजीदां वर्ग का आरक् (एवं समकक्ष न्यायालयों)षण तो संविधान निर्माताओं ने संविधान की अनुच्छेद के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया था। जिसे और अधिक पुख़्ता करने का काम संसद एवं विधानसभा से पारित होने वाले कानून के संदर्भ में 348 निर्देश देने वाली संविधान की अनुच्छेद ने 210 एवं 120 किया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद एवं विधानसभाओं को संविधान की अनुच्छेद के 348अधीन ही कानून बना सकती है। अतः संसद राजभाषा हिन्दी-.अनु.सं)343)1((में एवं विधानसभा राज्य की राजभाषा)सं.अनु-.34में कानून पास तो (5 कर सकती हैं, पर उनके लिए अनिवार्य है कि वे संविधान की अनुच्छेद के अनुरूप अंग्रेजी 348 अनुवाद प्रस्तुत करें। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी वाद की स्थिति में अंग्रेजी में छपे कानून को ही संदर्भ के रूप में देख सकता है। अंग्रेजी में छपे कानून एवं संघ की राजभाषा अन्य)हिन्दी एवं राज्य की राजभाषा-क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कन्नडतेल,ुगू , में विवाद की स्थित (बंग्ला पंजाबी आदि में अंग्रेजी में छपे कानून को ही सही माना जाएगा। इस अनुच्छेदकी वजह से ही तमाम परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर 348 लिखा होता है कि किसी भी वाद की स्थिति में अंग्रेजी में छपे हुए प्रश्न को ही सही माना जाएगा। परिणाम यह निकलता है कि अंग्रेजी कामकाज की मूल भाषा बन जाती है और तमाम भारतीय भाषाएँ अलंकार हेतु किए जाने वाले अनुवाद भर ही प्रयोग किए जाते है। इस प्रकार भारत के संविधान के माध्यम से ही सत्ता पर अंग्रेजीदां वर्ग का आरक्षण निश्चित किया गया है।

जी हाँ! इंग्लिश मीडियम सिर्फ़ स्कूल ही नहीं होते, इंग्लिश मीडियम अदालतें भी होती हैं। इंग्लिश मीडियम कानून भी होते हैं, पीएमओ समेत सम्पूर्ण नौकरशाही का ढाँचा भी इंग्लिश मीडियम ही है। इस देश की सम्पूर्ण सरकारी मशीनरी रेंगती ही अंग्रेजी के बल पर है। साथियों! भारत में अंग्रेजी, सिर्फ़ भाषा ही नहीं, एक व्यवस्था भी है। भारत के संविधान की विभिन्न धाराओं (विशेषतः धारा 348, 343,120,210, 351, 147) ने अंग्रेजी को राजव्यवस्था के संरक्षक के रूप में स्थापित कर दिया है। अंग्रेजी की अनिवार्यता इस संविधान जनित व्यवस्था का ही परिणाम है। आने-जाने वाली सरकारें तो महज 'ऑपरेटिंग एजेंसी' के रूप में इस व्यवस्था को ही पोसने भर का काम करती हैं। संवैधानिक संस्था यूपीएससी, डीएसएसएसबी, राज्यों के लोक सेवा परीक्षा आयोग (पीसीएस) एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाएँ जैसे- यूजीसी, आई.आई.टी., आई.आई.एम आदि तो महज़ 'वैरिकेटिंग एजेंसी' मात्र हैं जो इस सिस्टम को बनाए रखने भर का काम करती हैं। स्कूल : गली-गली में कुकरमुत्तों की तरह तोता तैयार करने वाली फैक्ट्रियां, ओह ! बेचारे परिवेश से कटे इंग्लिश मीडियम स्कूल तो इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि ये सभी के सभी संस्थान अंग्रेजीयत के सामाजिक वर्चस्व के सांस्कृतिक बोध को समाज के अवचेतन मानस पर जड़ती जा रही हैं।

अश्विनी कुमार 'सुकरात'

संवैधानिक संस्था यूपीएससी, डीएसएसएसबी, राज्यों की पीसीएस एवं गैर संवैधानिक संस्था यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम आदि तो 'बैरिकेटिंग एजेंसी' भर हैं। जो इस सिस्टम को बनाए रखने का काम करती हैं। भारत में अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं व्यवस्था है। भारत के संविधान की अनच्छेद 348, 343(1)&(2),120,210, 351, ने ही अंग्रेजी को व्यवस्था बना दिया है। अंग्रेजी की अनिवार्यता इस संविधानजनित व्यवस्था का ही 147 जाने वाली सरकारे-परिणाम है। आने 'ऑपरेटिंग एजेंसी' के रूप में इस व्यवस्था को ही पोषने का काम भर करती हैं। इस सिस्टम के दबाव में ही भारतीय भाषा आन्दोलन से जुड़े एवं यूपीएससी के बाहर चल रहे भारतीय भाषा आन्दोलन के धरने पर बैठने वाले अटल बिहारी बाजपेई जी ने भी सत्ता में आने के बाद न केवल अंग्रेजीदा व्यवस्था के सामने घुटने टेके बल्कि यूपीएससी)UPSC) के बाहर चल रहे इस भाषाई अस्मिता के धरने को भी उखाड़ फेंका। यह वही आन्दोलन था जिसके धरने में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक भी राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद बैठे थे। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की स्थिति कुछ भिन्न नहीं है। एक तरफ मोदी जी देश से बाहर जाकर हिन्दी में भाषण देते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार सभी भारतीय भाषाओं में मूल प्रश्नपत्र बनाने की मांग को लेकर चल रहे सीसैट आन्दोलन का दमन भी करती है। कारण स्पष्ट है कि सत्ता में आने के बाद सरकार की पहली जिम्मेदारी संविधान के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने की होती है और कोई भी व्यक्ति या सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। जब तक संशोधन नहीं होतातब तक सत्ता में आने के बाद हर सरकार को उसी के तहत चलना पडेंगा। ,

जी हाँ साथियो इंग्लिश मीडियम सिर्फ़ स्कूल ही नहीं होते !, इंग्लिश मीडियम अदालतें भी होती हैं। इंग्लिश मीडियम संसद के कानून भी होते हैं, पीएमओ समेत सम्पूर्ण नौकरशाही का ढाँचा इंग्लिश मीडियम ही है। और इन सबको पोषने एवं बचाए रखने का काम व्यवस्था की 'बैरिकेटिंग एजेंसी' जैसे इंग्लिश मीडियम विश्वविद्यालय, एम्स, आईआईटी., आईआईएम, युपीएससी, डीएसएसएसबी आदि संस्थान करती हैं। यही अल्पतांत्रिक 'इंग्लिश मीडियम सिस्टम' 'भ्रष्टाचार', 'शोषण', 'गैरबराबरी' की व्यवस्था का 'साँस्कृतिक ठप्पा' है। स्कूल स्कूल तो बेचारे इसलिए इंग्लिश ! ओह ! मीडियम खुलते हैंक्योंकि ये सभी के सभी संस्थान अंग्रेजियत के सामाजिक वर्चस्व के सांस्कृतिक बोध को समाज के अवचेतन मानस पर जड़ेते जा रहे हैं। स्कूल व्यवस्था राजसत्ता की उपव्यवस्था है। स्कूली व्यवस्था की प्रकृति वैसी ही होगी, जैसी राज सत्ता की होगी। चूँकि राज सत्ता गैर बराबरी को बनाए रखने वाली 'इंग्लिश मीडियम वर्ग' द्वारा पोषित है। अतः स्कूली व्यवस्था भी 'बहुस्तरीय इंग्लिश मीडियम' केन्द्रित है। जब तक राजव्यवस्था गैरबराबरी की 'इंग्लिश मीडियम' प्रकृति की रहेगी, तब तक स्कूली व्यवस्था भी गैरबराबरी की 'इंग्लिश मीडियम' प्रकृति की रहेगी। जब तक राजसत्ता 'इंग्लिश मीडियम वर्ग' के हाथ में रहेगी, तब तक 'इंग्लिश मीडियम सिस्टम' का शोषण, दमन और भ्रष्टाचार भी कायम रहेगा। इंग्लिश मीडियम शिक्षाव्यवस्था सामाजिक स्तर का निर्धारण करने वाले के हथियार के रूप में 'इंग्लिश मीडियम राजव्यवस्था' के प्रति वफादार लोगों को ही 'इंग्लिश मीडियम सिस्टम' में स्थान देती है। 'इंग्लिश मीडियम राजव्यवस्था' 'इंग्लिश मीडियम शिक्षा' के माध्यम से ही अपने आप को सुरक्षित रखने का घेरा तैयार करती है। 'इंग्लिश मीडियम एजुकेशन' व्यवस्था के दास के रूप में देश की ग्रामीण, कस्बाई, निम्न एवं निम्न मध्यमवर्गीय आबादी को मुख्य धारा से दूर रख सत्ता के शीर्ष को उच्चवर्गीय एलीट क्लास के लिए आरक्षित करता है। यूपीएससी, आईआईटी, एम्स, आईआईएम और तमाम अति विशिष्ट माने जाने वाले विश्वविद्यालय जैसे – जेएनयू, डीयू, ये सभी के सभी संस्थान अंग्रेजियत के सामाजिक वर्चस्व का सांस्कृतिक बोध ही पैदा करने का काम करते है। इन संस्थाओं में पढ़ा व्यक्ति तो इस देश का कर्णधार बनेगा और मेरठ, गोरखपुर, सारण जैसे देहाती इलाकों के विश्वविद्यालय का विद्यार्थी चाय बेचेगा। आज अंग्रेजीदां बनने की चाह ने इस देश को अपने मोहपाश में इस कदर जकड़ रखा है कि समाज का हर तबका अपना सब कुछ दाँव पर लगा कर अपनी भाषा का शुद्धीकरण की चाह रखता है। भोजपुरी, मैथिली, बाँगड़ी बोलने वाले 'बैकवर्ड' कहलाएँगे और दो लाइन अंग्रेजी में गिटपिटाए नहीं कि मॉडर्न हो जाएँगे। अंग्रेजीदां बन हर कोई गिटपिटाना चाहता है। पर **भाषा की प्रकृति यह है कि भाषा ज्ञान परिवेश से स्वतः हासिल होती है, न की स्कूल-कॉलेजों की पढ़ाई से।** अतः **अंग्रेजी के चक्कर में लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिला करा तो देते हैं पर वे ज्ञान के नाम पर अंग्रेजियत के गुलाम भर बन कर रह जाते हैं। अधिकतर विद्यार्थी पढ़ाए जाने वाले विषय को परिवेश के साथ जोड़कर देखने के स्थान पर महज अंग्रेजी में रटते ही हैं। परिणाम यह निकलता है कि अधिकतर विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा की पहली दहलीज पर ही मुख्यधारा से कट जाते हैं। डिग्री को ही ज्ञान समझने का भ्रम पाल बैठते हैं।** इस प्रकार यह अंग्रेजी ही है, जो इस देश की प्रतिशत ग्रामीण 95, कस्बाई, निम्न एवं निम्न मध्यमवर्गीय मेहनतकश तबके को व्यवस्था से दूर रखने का काम करती

है। ..और साथ यह ज्ञान, पूँजी, नौकरशाही, राजनीति के शीर्ष को 3% ऊपरी तबके तक के लिए सुरक्षित भी रखती है। राजनीतिशास्त्र का सिद्धान्त है कि सत्ता व्यक्ति एवं संस्थाओं को भ्रष्ट बनाती है। राजनीति3 नैकरशाही का ,शिक्षाव्यवस्था ,% तबके तक सीमित रहना इन संस्थाओं को भ्रष्ट बनाता है और यह भ्रष्ट तंत्र अर्थव्यवस्था को चंद हाथों तक सीमित रखने का काम करता है। बस यहीं से 'भ्रष्टाचार', 'शोषण', 'गैरबराबरी' का गड़बड़झाला अंग्रेजियत की व्यवस्था के साथ जुड़ जाता है। अंग्रेजी को सिर्फ भाषा समझना उसकी ताकत को कम कर आँकना है। अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं भारतीय समाज में तो वर्चस्व का बोध ही है। *'इंग्लिश मीडियम सिस्टम'* ही शोषण और गैरबराबरी के *अल्पतांत्रिक-पंगु-पूँजीवादी किले* को बनाए रखने वाली सांस्कृतिक दीवार को पुख्ता करने का काम करती है। सत्ता को चंद हाथों तक समेटे रखकर, यह सिस्टम उस किले के चारों ओर भ्रष्टाचार की सड़ांध वाली दलदली जमीन निर्मित करता है। बिना इस *'इंग्लिश मीडियम तंत्र'* को नेस्तनाबूद किए, न तो भ्रष्टाचार की गंदगी को दूर किया जा सकता है और न ही सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को बनाए रखने वाली किले की दीवार को ही ढहाया जा सकता है। आम जनता की समझ से परे की भाषा का अल्पतंत्र ही आम जनता को भ्रम और असमंजस की स्थिति में रखता है।

मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों में पाया कि किस प्रकार 'इंग्लिश मीडियम केन्द्रित एजुकेशन (औपचारिक शिक्षा)' व्यवस्था राजव्यवस्था के एजेंट के रूप में ग्रामीण-कस्बाई-निम्न एवं निम्नमध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के 90% लोगों को सिस्टम से बाहर करती है और इस प्रकार सत्ता के तमाम केन्द्रों की बागडोर 1-2% मैकाले के मानस वंशजों के हाथों में बनाए रखने का काम करती है। सांस्कृतिकरण के टूल के रूप में 'इंग्लिश मीडियम केन्द्रित एजूकेशन सिस्टम' 5-8% लोगों का 'सांस्कृतिकरण' 'सिस्टम' की जरूरत के अनुरूप मानक भाषाओं में करता है। ये 5-8% लोग ही सिस्टम के विभिन्न पायदानों पर सिस्टम के भागीदार बनते हैं। इन 5-8% लोगों के हिस्से ही सिस्टम की मलाई भी पहुँच पाती है। ये लोग ही सिस्टम के सांस्कृतिक दलाल के रूप में स्थापित होते हैं और फिर क्या, शेष समाज उनके पीछे भेड़ों की तरह चल पड़ता है। वे शेष समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं।

इस देश में शिक्षा तो उसी दिन राजव्यवस्था के हाथ का खिलौना बन गयी, जिस दिन स्वायत्त पाठशाला व्यवस्था को भंग करने के लिए ब्रिटिश कम्पनी हुकूमत ने अंग्रेजी केन्द्रित स्कूली व्यवस्था की नींव डाली थी। भारत में स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा का संपूर्ण ढाँचा कम्पनी एवं ब्रिटिश राज में खड़ा किया गया है और आज भी तमाम सतही प्रयासों के बावजूद औपनिवेशिक जरूरत के अनुरूप ही है। औपचारिक शिक्षा के संस्थान के रूप में स्कूल और विश्वविद्यालय राजसत्ता की उप व्यवस्था ही हैं और ये राजसत्ता की जरूरत के अनुरूप सामाजिक स्तरीकरण का काम करते हैं। अतः स्कूल इसलिए इंग्लिश मीडियम हैं क्योंकि राजसत्ता इंग्लिश मीडियम है और राजसत्ता इसलिए इंग्लिश मीडियम है क्योंकि 'परदेशी इंग्लिश' राजसत्ता को एक-दो प्रतिशत इंग्लिश-हिंग्लिश लोगों तक समेटे रखने का सबसे आसान और कारगर साधन है। इंग्लिश सिर्फ भाषा नहीं है, यह तो शासक और शासितों के मध्य अन्तर बनाने का साधन भी है। अतः इंग्लिश हम भारत के लोगों को न केवल नियंत्रित अपितु भ्रमित रखने का सबसे आसान साधन है।

जब तक राजसत्ता इंग्लिश मीडियम है, तब तक सांस्कृतिक भाषाओं में समान स्कूली व्यवस्था की बात सोचना तक बेवकूफी है। जब तक राजसत्ता इंग्लिश मीडियम है, बच्चों की सांस्कृतिक परिवेश में बाल केन्द्रित रचनात्मक एवं विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र की बात हम भारत के लोगों के साथ बेईमानी और धोखा है। जब तक राजसत्ता इंग्लिश मीडियम है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण (संविधान का अनुच्छेद 21A) महज़ एक युटोपिया है। कॉमन स्कूल की लड़ाई को खत्म कर उसकी आड़ में इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में 25% EWS कोटे की दुकानदारी है। जब तक राजसत्ता इंग्लिश मीडियम है, तब तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भेड़चाल को रोक पाना असंभव ही नहीं नामुमकिन भी है। जब तक राज्य की उच्च संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था इंग्लिश मीडियम है तब तक राजव्यवस्था 1-2% अंग्रेजीभाषी लोगों के हाथों में सुरक्षित है। भारतीय समाज में 'अंग्रेजी माध्यम व्यवस्था' सिर्फ भाषा नहीं, वर्गीय विभाजन को बनाए रखने का व्यवस्थाजनित साँस्कृतिक हथियार भी है।- अतः जनशिक्षा को मुक्तिदाई, काम आधारित रचनात्मक एवं विवेचनात्मक बनाने के लिए राजसत्ता को इंग्लिश मीडियम के नियंत्रण से मुक्त करने की जरूरत है।

भारत में भाषाई समता स्थापित करने के लिए निम्न संवेधानिक बदलाओं की आवश्यकता है।

I. 343(1) हिन्दी के स्थान पर समस्त भारतीय जन)भाषाएं-भाषा एवं बोलियाँ (343)1धारा हिन्दी को राजभाषा घोषित करती है जिसे (भ्रम वस लोग राष्ट्रभाषा भी समझ लेते है। इस धारा का महान योगदान यह है कि इसने हमारे देश को हिन्दी– गैर हिन्दी नामक दो कृत्रिम राष्ट्रियताओं में विभक्त कर दिया है। या यु कहे कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर अनेकों राष्ट्रियताओं को पैदा कर दिया है। 'हिन्दी राष्ट्रभाषा है कि नहीं', हिन्दुतानी भाषा343 भाषी की आपसी इस लड़ाई में संविधान की धारा-(2) के माध्यम से अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। एक रोज हिन्दी को पूरा देश स्वीकार करेगा उस रोज हिन्दी अंग्रेजी का स्थान लेगी, यह एक ऐसी मिथक कल्पना है, जो कभी पूरी होती नहीं दिखती । हम आपसे पूछते है कि यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा है तो तमिल, तेलगू, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली आदि क्या गैर राष्ट्र भाषा है ? सच्चाई तो यह है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने वाली संविधान की धारा 343(1) की वजह से ही गैर हिन्दी परदेशों में हिन्दी के प्रति नफरत पनपी है। वर्ना समस्त भारतीय भाषाओं के मिश्रण से 'हिन्दुस्तानीफेविकोल-'(अमीर खुसरों से लेकर गांधी तक की मिली जुली हिन्दुस्तानीत (ैयार होने की प्रबल संभावना है। आज हमें दो में से एक को चुनना है। एक भाषा अनेक देश । अनेक भाषा एक देश । हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है। अतः 343(1) के स्थान पर भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूचि में शामिल समस्त भारतीय भाषाएं । एवं आठवीं अनुसूचि में समस्त भारतीय बोलीभाषाओं को शामिल किया जाए ।-

II. हिन्दी-उर्दू को एक भाषा माना जाए । लिपी भाषा नहीं होती है। लिपियांत्रण को बढ़ावा दिया जाए । समस्त भारतीय लिपियों में भी हिन्दीउर्दू-/हिन्दवी/हिन्दुस्तानी आदि को लिखा जाए एवं उसके विपरीत भी । देवनागरी/रोमन/फारसी/ समेत समस्त भारतीये लिपियों का इस प्रकार विस्तार किया जाए कि भारत की सभी भाषाओं को एक से ज्यादा लिपियों लिखा जा सके ।

III. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) एवं 348 के प्रवाधान से अंग्रेजी के साथ समस्त भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाए (में शामिल हो 348 कम से कम हर राज्य से एक)। त्वरित न्याय के लिए देश के हर एक जोन में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो जो उस क्षेत्र में बोली जाने वाली सभी बोलियों में न्याय की व्यवस्था करे । सभी राज्यों के उच्चन्यायालय अनिवार्यतः उस राज्य में बोली भाषाओं में ही कामकाज करे । हर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की शाखा खोली जाए । जो उस राज्य की बोली भाषा में काम काज करे।

IV. भाषा नदियों के समान होती है। नदी में पानी के बहाव की दर में परिवर्तन आता रहता हैवैसे ही भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। , संगम पर दो नदियों की धारां अलग अलग जान पडती है पर मिल कर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। सरकार भाषाई मामले में हस्तक्षेप न करे तो भारत की भाषाओं को मिल कर एक होने की प्रबल संभावना है। अतः अनुच्छेद में संशोधन हो । 351भारत सरकार हिन्दी के प्रसार की जगह सरकार 'हम भारत के लोगों' की मिली जुली जनभाषा को अपना ले ।

V. हिन्दीहिन्दुस्तानी का काम भारत की समस्त भाषाओं में समन/उर्दू अर्थात हिन्दवी-वय का हो । पर किसी भी भाषा को थोपे न । परिवेश के अनुरूप इस मिली जूली हिन्दूस्तानी के कई-उर्दू-हिन्दी-कई स्वरूप उत्पन्न हुए है। जैसे मराठी-(हिन्दी-मुम्बईया)हिन्दुस्तानी/हिन्दवी/संस्कृत, गुजरातीहिंग्लिश+हिन्दुस्तानी/हिन्दवी/संस्कृत-उर्दू-हिन्दी-, तमिल-उर्दू-हिन्दी-तमिलिश+हिन्दुस्तानी/हिन्दवी/संस्कृत, नागामीशनागालिश+हिन्दुस्तानी-/हिन्दवी/संस्कृत-उर्दू-हिन्दी-, हिन्गलिशतमिलिश -बिंग्लिश-आदि सबको संविधान की आठवीं अनुसूचि तथा अनुच्छेद में बराबरी के साथ स्थान हो 343 ।

VI. शब्द किसी भाषा विशेष की बपौती नहीं होते है। भाषीक परिवेश में जाकर शब्द उसके अनुरूप ढ़ल जाते है। अतःअंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं से आये तकनिकी शब्दों को अपनाया जाए । राजभाषा विभाग जबरदस्ती का हिन्दी अनुवाद एवं कृत्रिम हिन्दी को पैदा करने का काम बंद कर दे और समस्त राजभाषा अधिकारियों को वीआरएस दिया जाए । सरकार से विशेष अनुरोध है कि राजभाषा विभाग को तुरंत से तुरंत बंद कर दिया जाए।

VII. संस्कृतिक-बोली अर्थात समय के साथ पीढ़ी दर पीढी संचारित एवं परिवर्धित होता संचित ज्ञान । अतः अंग्रेजी के राजनैतिक-समाजिक सांस्कृतिक प्रभुत्व के कारण पनपी हिन्गलिशतमिलिश-बिंग्लिश- को समहित करते हुए ,समस्त भारतीय बोलियों को आठवीं अनुसूचि में शामिल किया जाए और उनके विकास और उन्में ज्ञान विज्ञान के प्रसार पर विशेष बल दिया जाए।

VIII. अनुच्छेद 147को समाप्त किया जाए । जो ब्रिटेन की संसद के द्वारासे पूर्व 1947 पास किये गये कानूनों को ही मान्य नहीं करता अपितु अंग्रेजों के समय की व्यवस्था को भी बनाए रखता है।

IX. केजी से पीएचडी तक परिवेश के भाषा माध्यमों में समान समान स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं रोजगार का अधिकार नागरिकों को दिया जाए । वर्तमान शिक्षा बोर्डों को भंग करसंकुन के सिद्धान्त पर सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड सह विश्वविद्यालयों की स्थापना की , जाए ।

X. पीएससी, एसएससी, डीएसएसएसबी समेत सभी रोजगार के लिए नैकरियों की परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थाएं अपनी परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करे। अंग्रेजी की अनिवार्यता पूर्णतः समाप्त की जाए। आईआईटी, आईआईएम समेत समस्त बेहतर माने जाने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालयों की परीक्षा ही नहीं अपितु शिक्षा भी/हो भारतीय भाषा माध्यमों में ही हो तथा इन संस्थाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता अर्थात अंग्रेजी का आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो । जब तक भाषाई समता लागू नहीं होती तब तक गैरअंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के समतुल्य लाने के लिए सभी प्रकार की-विश्वविद्यालयी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में5 % का अतिरिक्तांक दिये जाए । विश्वविद्यालय एवं सरकारी सेवाओं की सीटे %75 अंग्रेजी माध्यम में पढ-सरकारी स्कूलों एवं गैरने एवं परीक्षा देने वाले भारतीये भाषा के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्यतः आरक्षित की जाएं। एक भाषा परिवेश से दूसरे भाषा परिवेश में जाने पर विद्यार्थी को उस भाषा परिवेश के विद्यार्थियों के समतुल्य लाने हेतु अतरिक्तांक भी दिया जाए ।

*** Corresponding Author:**
Dr.Ashwini Kumar 'Sukrat'
Assistant Professor, Delhi University
A-401, Soniya Vihar, Delhi - 110090
Email- janchetna.janmukti@gmail.com, Mob. - 9210473599